चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 18.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 18.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में थाना मऊ पुलिस द्वारा डण्डे से मारकर गंभीर रुप से घायल करने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का नाम पता का विवरण-

पंकज पुत्र संतोष सिंह निवासी ग्राम छिवलहा थान मऊ जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी स्थान,दिनाँक,समय-

कटिया तिराहा थाना मऊ,18.04.025,11.00 बजे

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 16.03.025 को वादी कुँवर सिंह पुत्र रामसुन्दर सिंह निवासी छिवलहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी गयी कि गांव के ही व्यक्ति संतोष सिंह पुत्र रामपाल व पंकज सिंह व अजय सिंह पुत्रगण संतोष सिंह द्वारा प्रदीप ढाबा के पास वादी के भाई प्रदीप सिंह को लाठी डण्डा से मारा जिससे उसके भाई को गंभार चोटें आई है घायल भाई को उपचार हेतु सीएचसी मऊ ले जाया गया जहाँ से उसे बेहतर उपचार हेतु प्रयागराज के गुरुगोविन्द्र सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहाँ पर उसका उपचार चल रहा है। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 72/025 धारा 110,115(2),352,109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय द्वारा मुकदमें की विवेचना उ0नि0 श्री रामकृत यादव को सुपुर्द की गयी थी तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज दिनाँक 18.04.025 को उ0नि0 व उनकी टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुख्य आरोपी पंकज सिंह उपरोक्त को कटिया तिराहा थाना मऊ से मारपीट में प्रयोग करने वाले डण्डे के साथ गिरफ्तार किया गया। मुकदमें में विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है तथा शेष वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री रामकृत यादव थाना मऊ

2.आरक्षी संदीप यादव

(4).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज जूनियर डिवीजन श्रीमती शैफाली यादव द्वारा दिनाँक 17.08.20218 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 570/18 धारा 279,337,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त संतोष कुमार यादव पुत्र दशरथ निवासी सेमसिया चरणदासी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3100/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ विनोद कुमार राय एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा

की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 18.04.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 16/2020 धारा 376 आईपीसी व ¾ पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त पतवा रैदास पुत्र बुधई निवासी चकवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 02.02.2020 को एक वादी द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी कि अभियुक्त पतवा रैदास पुत्र बुधई निवासी चकवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री का झांड-फूंक के बहाने ले जाकर दुश्कर्म किया। दुष्कर्म करने की सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 16/2020 धारा 376 आईपीसी व ¾ पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 सुभाष चन्द्र चौरसिया द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 10.03.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बरगढ़ श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी हरेन्द्र कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 84/17 धारा 174A भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.संजय पुत्र बब्बू लोहार 2.बब्बू उर्फ रामपाल पुत्र कुन्नीलाल 3. मनोज पुत्र बब्बू लोहार निवासी मुरका थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट जेल में बिताई गयी अवधि व 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।